न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर,टोंक

प्रकरण संख्या 26/2026

इन्द्रजीत सिंह निवासी प्लाट नम्बर 12, लाजवन्ती भवन सिविल लाईन टोंक जिला–टोंक
——अपीलार्थी

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक ——प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

<u>निर्णय</u> **दिनांक 09.04.2026**

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक को दिनांक 06.02.2026 को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निम्न वर्णित सूचना चाही गई थी :–

कलेक्ट्रेट टोंक में रिसीव संलग्न प्रकरण दिनांक 10.11.2025 व इसका स्मरण –पत्र दिनांक 29.12.2025 की प्रतियां पुनः संलग्न कर निवेदन है कि इस पर शुरू से की गई कार्यवाही की जानकारी देने की सुनिश्चितता करे।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की छायाप्रति राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक को पत्र क्रमांक 499 दिनांक 11.03.2026 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्ट उपस्थित नही हुए। राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक ने पत्र क्रमांक 118 दिनांक 19.03.2026 से जवाब प्रेषित किया है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचनां का संबंध लोक सूचना अधिकारी एंव जनसंपर्क अधिकारी टोंक कार्यालय से होने से उनके पत्र क्रमांक 132 दिनांक 13.02.2026 से प्रार्थना पत्र अन्तरित करते हुए पत्र क्रमांक 133–134 दिनांक 13.02.2026 से अपीलान्ट को सूचित किया गया है। लोक सूचना अधिकारी एवं जनसंपर्क अधिकारी टोंक के प्रथम अपीलेट अधिकारी अधोहस्ताक्षरकर्ता नहीं है। अपीलान्ट जनसंपर्क अधिकारी टोंक के प्रथम अपीलेट अधिकारी के समक्ष नियमानुसार अपील प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है। अतः अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील अस्वीकार योग्य है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

जिला कलेक्टर राजस्थान (seal)

(टीना डाबी)
प्रथम अपील अधिकारी
एंव जिला कलेक्टर टोंक
जिला कलेक्टर टोंक

820